



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 16/2025

दायर दिनांक 10.03.2025

अनवान

1. छीतर पुत्र मोड़ा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादी

बनाम

- कैला पुत्र उदा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- कौशल्या पुत्री रमेशचन्द्र जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- गायत्री पुत्री काना जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- नर्बदा पत्नि रमेशचन्द्र जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- पानी बाई पुत्री काना जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- कविता पुत्री रमेशचन्द्र जरिये संरक्षक सरपरस्त माता नर्बदा पत्नि रमेशचन्द्र जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- रविना पुत्री रमेशचन्द्र जरिये संरक्षक सरपरस्त माता नर्बदा पत्नि रमेशचन्द्र जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- विकास पुत्र रमेशचन्द्र जरिये संरक्षक सरपरस्त माता नर्बदा पत्नि रमेशचन्द्र जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपस्थित :- 1. श्री औमप्रकाश शर्मा - विद्वान अधिवक्ता वादी

2. एकपक्षीय

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक :- 05/08/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 07/04/2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का गुद्धा तहसील बिजौलिया में स्थित खाता संख्या 14 कि आराजी नं0 314 रकबा 0.7284 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/2 हिस्सेनुसार भूमि में वादीगण को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1252 दिनांक 29.07.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना मौके रिपोर्ट नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार



3

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

पृज संख्या 02

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिसा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक कार्या न अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अनर्गत धारा 53 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आपत्ती नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	छोतर पिता मोला रेगार सा10 कारयां	उमोदपुरा	314/2	0.3642
	योग		खसरा 01	0.3642
02	केला पुत्र उदा 1/2 नाबालिग कविता पुत्री रमेशचन्द्र संरक्षक सरपरस्त माता नर्वदा 1/30 बलाई कौशल्या पुत्री रमेशचन्द्र 1/30 गायत्री पुत्री काना 1/6 नर्वदा पत्नी रमेशचन्द्र 1/30 पानी बाई पत्नी काना 1/6 नाबालिग रविना पुत्री रमेशचन्द्र सरपरस्त माता नर्वदा 1/30 नाबालिग विकास पुत्र रमेशचन्द्र सरपरस्त माता नर्वदा 1/30 बलाई सा10 देह खातेदार	उमोदपुरा	314/1	0.3642
	योग		खसरा 01	0.3642

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 05/08/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल गाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विज्ञापितियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठसीन अधिकारी : - अजीत सिंह रावौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 16 / 2025

दायर दिनांक 10.03.2025

अनवान

1. छीतर पुत्र उदा जाति रेयर उम वयरक निवासी करयां तहसील विज्ञापितियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम

डिक्रीकरण

1. कैला पुत्र उदा जाति बलाई उम वयरक निवासी उममेंदपुरा तहसील विज्ञापितियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कौशल्या पुत्री रमेशचन्द्र जाति बलाई उम वयरक निवासी उममेंदपुरा तहसील विज्ञापितियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. गायत्री पुत्री काना जाति बलाई उम वयरक निवासी उममेंदपुरा तहसील विज्ञापितियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. नर्दा पत्नि रमेशचन्द्र जाति बलाई उम वयरक निवासी उममेंदपुरा तहसील विज्ञापितियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. पानी बाई पुत्री काना जाति बलाई उम वयरक निवासी उममेंदपुरा तहसील विज्ञापितियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. कविता पुत्री रमेशचन्द्र जरिये सरशक सरपरस्त माता नर्दा पत्नि रमेशचन्द्र जाति बलाई उम वयरक निवासी उममेंदपुरा तहसील विज्ञापितियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. रविना पुत्री रमेशचन्द्र जरिये सरशक सरपरस्त माता नर्दा पत्नि रमेशचन्द्र जाति बलाई उम वयरक निवासी उममेंदपुरा तहसील विज्ञापितियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. विकास पुत्र रमेशचन्द्र जरिये सरशक सरपरस्त माता नर्दा पत्नि रमेशचन्द्र जाति बलाई उम वयरक निवासी उममेंदपुरा तहसील विज्ञापितियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. भूमिपारी जरिये तहसीलदार विज्ञापितियां, तहसील विज्ञापितियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....मदयूनान

गाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा10टी0एक्ट



निर्णय दिनांक : 05 / 08 / 2025

डिक्री दिनांक : 05 / 08 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रूपरू त्यागपत्रां परां न्यायिक प्रक्रियां बलाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री आनप्रकाश शर्मा एां एकाक्षीय को डुकम दिया इ व डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काररकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निर्माकित भूमि उनके नाम के आगे अकिल खालदारान के नाम ग्राम उममेंदपुरा पटवार हल्का गुढा के राजरस अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

3

उपखण्ड अधिकारी

विज्ञापितियां जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

क्र. सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	छोतर पिता मोडा रंगर सा10 कारयां	उमरपुरा	314/2	0.3642
	योग	खसरा 01		0.3642
02	केला पुत्र उदा 1/2 नाबालिय कविता पुत्री स्पेशचन्द संशक सरपरस्त माता नर्दा 1/30 बलाई कौशल्या पुत्री स्पेशचन्द 1/30 गायत्री पुत्री काना 1/6 नर्दा पत्नी स्पेशचन्द 1/30 पानी बाई पत्नी काना 1/6 नाबालिय रविना पुत्री स्पेशचन्द सरपरस्त माता नर्दा 1/30 नाबालिय विकारा पुत्र स्पेशचन्द सरपरस्त माता नर्दा 1/30 बलाई सा10 देह खातेदार	उमरपुरा	314/1	0.3642
	योग	खसरा 01		0.3642

उक्तानुसार डिकी मूर्तिव हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिया Nil बावत्
 Nil खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शहर Nil कीस दी सालाना आज की
 तारीख से तारीख वसूलायाबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 08वर्ष 2025 को जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील बादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिकी आज दिनांक 05/08/2025 को मुतिव की गई।

(अजीत सिंह रावौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां

मुद्	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-	-	स्टाम्प अरजीदया	-	-
स्टाम्प वकीलात नामा	-	-	स्टाम्प वकीलात नामा	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
मेहनताना वकील ()	-	-	मेहनताना वकील ()	-	-
खर्चा गावाह	-	-	खर्चा गावाह	-	-
कीस कमीशनर	-	-	कीस कमीशनर	-	-
बावत् इजराय हुकमनामा	-	-	बावत् इजराय हुकमनामा	-	-
मुनफारिक	-	-	मुनफारिक	-	-
मीजान			मीजान		



(अजीत सिंह रावौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां